



पत्रावली आरिना प्रतिवादी से 1 व 4 के वारिसान
रिपोर्ट पर लेने हेतु बिचिड प्रावनी पत्र, 2, 6, 8
को पुना नोखि तलवना एवं शेष के जवाब हेतु
डिग्रेड 12/8/2021 को फेस ही


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

12/8/2021

पत्रावली पेशकृडा वकीलवासी उप.। ~~का~~ भाषी की ओर
से अधिवक्ता श्री सांवरलाल चौधरी द्वारा पत्रावली
पर Not press करने बाबत अडिनडिमा वादी
अधिवक्ता को रुला गमा। वादी अधिवक्ता पत्रावली
पर अफिम कौडी कम्पिची नही चाहते हैं। ऐसी स्थिति
में वाद पत्र पर कौडी कायदाही अपेक्षित नही है।
अतः वाद पत्र पर कायदाही इसी स्तर पर समाप्त
की जाती है। पत्रावली फंसल नुमा 2 हो। नम्बर से कम
दोकर वाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Siri
Not press by me
Soniya